भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1654
16 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्त पद

1654. सुश्री देबाश्री चौधरी:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों ('पीएचसी) सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की रिक्तियों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएचसी सहित सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए और अधिक विशेषज्ञों, चिकित्सकों, नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, फार्मासिस्टों और रेडियोग्राफरों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): देश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की रिक्तियों का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है, जो निम्नवत है। https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/rhs20-21_2.pdf

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास होते हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी समग्र संसाधन सीमा के अंतर्गत उन्हें उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते है:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वा र्टरों की व्यवस्थार की जाती है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना रुचिकर लगे।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों/ आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/ जीवन रक्षक एनेस्थीदसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को "यू कोट वी पे" जैसी रणनीतियों में छूट सहित विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए समुचित वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
- गैर-मौद्रिक प्रोत्साअहन, जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नाितकोत्तयर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवास संबंधी व्यसवस्थाओं में सुधार किए जाने को भी एनएचएम के तहत शुरू किया गया है।
- विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल को एनएचएम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। मौजूदा एचआर का कौशल उन्नयन करना स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए एनएचएम के तहत एक और प्रमुख कार्यनीति है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा (51) के अनुसार भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विनियमों में राज्य के ग्रामीण/ दूरस्थ/ दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 10% तक तथा पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईईटी (पीजी) में अधिकतम 30% की दर से अंकों के प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा, 50% मेडिकल डिप्लोमा सीटें राज्य सरकार के ऐसे सेवारत मेडिकल डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने दूरस्थ तथा/ अथवा दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं।

******